फैक्स/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-14/2016/ए-1-863/दस-2016-3(2)/87

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 26 अक्टूबर, 2016

विषय :- दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को सार्वजनिक अवकाश होने तथा दिनांक 30/31 अक्टूबर, 2016 को दीपावली का त्योहार होने के फलस्वरूप राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों एवं पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2016 का वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2016/ए-1-859/दस-2016-3(2)/87, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2016 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को किया जायेगा।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव वित्त।

संख्या-14/2016/ए-1-863(1)/दस-2016-3(2)/87, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

(6) चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

(7) करेंसी आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।